सत्यमेव जयते

डॉ. शेखर चि. मांडे
एफएनए, एफएएससी, एफएनएएससी
सचिव
भारत सरकार
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
एवं महानिदेशक

Dr. Shekhar C. Mande
FNA, FASc, FNASc
Secretary
Government of India
Department of Scientific & Industrial Research
and Director General

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Department of Scientific & Industrial Research
(Ministry of Science and Technology)
Anusandhan Bhawan, 2 Rafi Marg, New Delhi-110001

Director's Office
Date 31/5/19
Diary No. 1161

सं. 20-5(4)/2001-राभा
दिनांक : 27.05.2019

सेवा में,

परिषद मुख्यालय की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक

महोदय,

विदित है कि गत कुछ वर्षों में परिषद की प्रयोगशालाओं/संस्थानों में संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन व उसके तहत की गई संवैधानिक व्यवस्थाओं/प्रावधानों के अनुपालन में काफी सुधार हुआ है फिर भी हम राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों से अपेक्षतया पीछे हैं। आप अपनी-अपनी प्रयोगशाला/संस्थान में अपने कुशल नेतृत्व में निम्नवत व्यवस्थाएं कराएं ताकि विज्ञान की तरह हम राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में भी अग्रिम पंक्ति में रहें:

1. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी के ज्ञान (कार्यसाधक/प्रवीणता) संबंधी रोस्टर तैयार किया जाए (यदि अभी तक तैयार नहीं किया गया है तो) व इसे नियमित आधार पर अपडेट किया जाए।
2. सभी अधिकारियों (विशेष रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य) द्वारा हिंदी में किए जाने वाले कार्य की प्रतिशतता का रिकॉर्ड रखा जाए।
3. उप सचिव व समकक्ष अधिकारियों द्वारा कम्प्यूटर पर स्वयं हिंदी में कार्य किया जाए व उसकी प्रतिशतता में वृद्धि की जाए तथा उसका उचित रिकॉर्ड रखा जाए।
4. संसदीय राजभाषा समिति को विगत में दिए गए आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
5. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में दिए गए सभी कागजात (सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, नोटिस, टेंडर के फार्म, संकल्प, नियम, संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज-पत्र (रिपोर्टों के अलावा), संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें (संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अलावा) आदि अनिवार्यत: द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।
6. राजभाषा नियमावली के नियम-5 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए अर्थात हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यतया हिंदी में दिया जाना सुनिश्चित किया जाए व इस संबंध में जांच बिन्दु स्थापित किए जाएं।
7. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी ओर से व्यक्तिश: आदेश जारी किए जाएं व उनके कार्य की मॉनीटरिंग की जाए।
8. प्रयोगशाला/संस्थान में उपलब्ध सभी रबड़ की मोहरें, विजिटिंग कार्ड, लैटर हैड, नामपट्ट एवं सूचना पट्ट, वाहनों पर कार्यालय का विवरण द्विभाषी रूप में हो व इस संबंध में जांच बिन्दु स्थापित किए जाएं।

9. प्रयोगशाला/संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें अपनी अध्यक्षता में नियमित रूप से तीन माह के अंतराल पर आयोजित की जाएं। अन्य मदों के साथ-साथ इनमें वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को अवश्यमेव शामिल किया जाए।

10. हिंदी पदाधिकारियों की सेवाओं का उपयोग संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन व अनुवादादि के लिए ही किया जाए।

11. भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा "क", "ख" तथा "ग" क्षेत्र के केन्द्र सरकार के कार्यालयों के साथ क्रमश: 100%, 100% तथा 65% मूल पत्राचार हिंदी में किया जाना अपेक्षित है। कृपया अपनी प्रयोगशाला/संस्थान में इन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं।

12. सभी उच्च अधिकारियों के साथ अटैच्ड और हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त आशुलिपिक/निजी सचिव अपना दैनिक कार्य हिंदी में करें और उच्च अधिकारी भी अपने साथ अटैच्ड आशुलिपिकों को यथासंभव हिंदी में डिक्टेशन देने का प्रयास करें।

13. वैज्ञानिक पुस्तकों एव संदर्भ ग्रंथों को छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकों की खरीद पर एक समान राशि खर्च की जाए।

14. अखबारों/पत्रिकाओं, पैम्फलेट आदि (प्रिंट मीडिया) के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर किए जाने वाले खर्च का क्षेत्रवार ब्योरा रखा जाए और यह खर्च नियमानुसार किया जाए।

15. प्रयोगशाला/संस्थान में केवल ऐसे कम्प्यूटर खरीदे जाएं जिनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान रूप से कार्य करने की सुविधा उपलब्ध हो।

16. कार्यालय में प्रयोग में लाए जा रहे सभी की-बोर्ड की कुंजियां द्विभाषी हों तथा विभिन्न की-बोर्ड ले-आउट के स्थान पर केवल तीन (इनस्क्रिप्ट, रेमिंग्टन व फोनेटिक) की-बोर्ड ले-आउट ही उपयोग में लाए जाएं।

17. प्रयोगशाला/संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी हो व उसे नियमित रूप से अपडेट किया जाए।

माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री की अध्यक्षता में मार्च, 2019 में हुई विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय सदस्यों ने निम्नांकित सुझाव दिए :-

(i) कार्यालय द्वारा सभी प्रकार का पत्राचार वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किया जाए।

(ii) कार्यालय में उपयोग में लाए जा रहे सभी प्रोफार्में द्विभाषी हों।

(iii) कार्यालय द्वारा निकाली जाने वाली हिंदी पत्रिकाओं में 50 प्रतिशत लेख कार्यालय के कार्मिकों के तथा 50 प्रतिशत बाह्य व्यक्तियों के हों।

(iv) कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने वाले सभी प्रकार के विज्ञापन द्विभाषी हों।

(vi) कार्यालय में कार्यरत उच्चाधिकारियों द्वारा फाइलों पर नोटिंग अधिकाधिक हिंदी में की जाए व हिंदी के आसान शब्दों का उपयोग किया जाए तथा जहां आवश्यक हो अंग्रेजी में लिप्यंतरण किया जाए।

आशा करता हूं कि आप अपनी प्रयोगशाला/संस्थान में उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन की प्रभावी व्यवस्था करेंगे तथा हिंदी कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्ति व अनुभाग पर न छोड़कर सामूहिक रूप से मिलजुल कर हिंदी में श्रीवृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।

भवदीय,

केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI
राजभाषा अनुभाग Rajbhasha Anubhag

सं 20-2/13/18-राभा

सभी संबंधितों/जांच बिंदुओं के द्वारा कड़ाई से अनुपालन हेतु।

(शेखर चि. मांडे)
महानिदेशक

10 JUN 2019

(अँजुम शर्मा)
प्रशासन नियंत्रक

प्रति :-

1. सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख एवं प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारी - अनुपालन हेतु।
2. अनुभाग अधिकारी (स्था.1, स्था.2, कार्मिक) - जांच बिंदु के रूप में अनुपालन हेतु।
3. वित्त व लेखा अधिकारी/वित्त व लेखा नियंत्रक - जांच बिंदु के रूप में अनुपालन हेतु।
4. भंडार व क्रय अधिकारी/भंडार व क्रय नियंत्रक - जांच बिंदु के रूप में अनुपालन हेतु।
5. प्रभागीय प्रमुख, सीसीएन - वेबसाइट पर अपलोड करने व जांच बिंदु के रूप में अनुपालन हेतु।
6. प्रभागीय प्रमुख, (आईएलटी, डीएलएस, अनुरक्षण) - जांच बिंदु के रूप में अनुपालन हेतु।